

प्रिन्सिपल,

श्याम सुन्दर अग्निहोत्री,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र-2 समुदाय केन्द्र,
प्रीति विहार, नई दिल्ली ।

शिष्ट 171 अनुभाग

लखनऊ: दिनांक : 23 अक्टूबर, 2002

विषय:- दिल्ली पब्लिक स्कूल बरेली को सी०बी०एस०ई० नईदिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त सदस्यित विद्यालय को सी०बी०एस०ई० नईदिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार की निम्न-लिखित प्रतिबंधों के अधीन अनापत्ति नहीं है :-

111 विद्यालय की पंजीकृत सार्वजनिक कर समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।

121 विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।

131 विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ०प्र०मा०शिक्षा परिषद द्वारा तय की गई विद्यालयी में विभिन्न कक्षाओं के लिये निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।

141 संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की माँग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संकल्पना केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कौशिल्य फंड दि० इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट इन्फार्मेशन नईदिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केंद्रीय परिषद की संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से

DELHI PUBLIC SCHOOL BAREILLY

संस्था द्वारा अनुदान प्राप्त न होने का प्रमाण प्रस्तुत करना ।

VICE PRINCIPAL

PRINCIPAL

DELHI PUBLIC SCHOOL BAREILLY

PRINCIPAL

DELHI PUBLIC SCHOOL

BAREILLY (U.P.)

DELHI PUBLIC SCHOOL

MANAGER

-----2-----

- 15। संस्था शैक्षिक एवं शैक्षणिक कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों का अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे ।
- 16। कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त असाक्षीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।
- 17। राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।
- 18। विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पत्रिकाओं में रखा जायेगा ।
- 19। उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा ।

2- उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की गूढ़ या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

EO/JO-

श्याम सुन्दर अग्निहोत्री
संयुक्त सचिव ।

पृ०सं०- 3525

11/15-7-तद्विनांक

प्रांतियोगि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, बरेली ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, बरेली ।
- 4- निरीक्षक, अंग्रेज भारतीय विद्यालय, उ०प्र०, लखनऊ ।
- 5- प्रबंधक, दिल्ली पब्लिक स्कूल बरेली ।
- 6- गार्ड फाइल ।

DELHI PUBLIC SCHOOL, BAREILLY

VICE PRINCIPAL

अवगत से,

EO/JO-

अखिलेश चन्द्र गुप्त ।
अनु सचिव

DELHI PUBLIC SCHOOL
PRINCIPAL
DELHI PUBLIC SCHOOL
BAREILLY (U.P.)
MANAGER

(अखिलेश चन्द्र गुप्त निदेशक)
संयुक्त सचिव
शिक्षा अनुभाग-7
शिक्षा भाग

PRINCIPAL
DELHI PUBLIC SCHOOL, BAREILLY